

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441
EPABX-07423-223030



Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441
e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

फा.सं. I(22)16/Adm/Vehicle Auction/2021-

दिनांक : 30.06.2023

:: नीलामी की सूचना ::

विषय: निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में निष्प्रयोजित पड़े 05 "चार पहिया" वाहन व 14 "दो पहिया" वाहनों के निस्तारण हेतु "जो जंहा है वही" के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at	Reserve price (आरक्षित मूल्य)
1.	MP-07-6758	Tata 407, 1990	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 105000/-
2.	MP-14-L-4004	Ambassador, 1998	P & I Cell, Jaora	Rs. 12000/-
3.	MP-44-D-0143	Omini Van, 2002	D.O.O, Jaora II	Rs. 12000/-
4.	MP-44-D-0069	Maruti Gypsy, 2000	P & I Cell, Mandsaur	Rs. 22000/-
5.	MP-14-K-2801	Mahindra Jeep, 1998	D.O.O, Neemuch I	Rs. 35200/-
6.	MP-44-B-1492	Yamaha YBX, 1999	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 1200/-
7.	MP-44-B-1481	Yamaha YBX, 1999	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 2200/-
8.	MP-14-C-6781	Yamaha Bike, 1993	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 2200/-
9.	MP-14-L-2683	Yamaha RXG, 1998	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 2200/-
10.	MP-09-JG-5494	Yamaha RX-135, 1998	D.O.O, Mandsaur I	Rs. 2200/-
11.	MP-44-B-1493	Yamaha Bike, 1999	P & I Cell, Jaora	Rs. 4500/-
12.	MP-14-L-2678	Yamaha Bike, 1998	P & I Cell, Jaora	Rs. 4000/-
13.	MP-14-L-2686	Yamaha Bike, 1998	D.O.O, Jaora II	Rs. 3000/-
14.	MP-44-B-1486	Yamaha Bike, 1999	D.O.O, Jaora II	Rs. 3500/-
15.	MP-14-L-2679	Yamaha Bike, 1998	D.O.O, Jaora II	Rs. 3000/-
16.	MP-14-L-2691	Yamaha RXG, 1999	P & I Cell, Mandsaur	Rs. 2100/-
17.	MP-44-B-1717	Yamaha YBX, 1999	P & I Cell, Mandsaur	Rs. 2200/-
18.	MP-44-B-1490	Yamaha YBX, 1999	D.O.O, Neemuch I	Rs. 5100/-
19.	MP-07-B-2682	Yamaha RX-100, 1991	D.O.O, Neemuch I	Rs. 4700/-


2. उक्त सभी वाहनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन संबंधित लोक निर्माण विभाग द्वारा कर वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि उपरोक्त तालिका में **“Reserve price (आरक्षित मूल्य)”** के अंतर्गत दर्शाया गया है।
3. उक्त सभी वाहनों हेतु अलग-अलग सीलबंद किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहनों को खरीदने में रुचि रखता है, अपने उच्चतम दर के कोटेशन प्रत्येक वाहन हेतु अलग-अलग सील बंद लिफाफों में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में दिनांक **07.07.2023** को शाम **12:00** बजे से पहले जमा करना होगा।
4. उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशनों के लिफाफों पर साफ शब्दों में लिखा होना आवश्यक है कि **“QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model”**। प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक **07.07.2023** को शाम **15:00** बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
5. उक्त वाहनों का निरीक्षण तालिका में उनके सम्मुख दर्शाए गये कार्यालय के प्रमुख की उपस्थिति में दिनांक **06.07.2023** तक सुबह **11:00** बजे से शाम **03:00** बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में किया जा सकता है।

वाहनों की नीलामी कार्यवाही हेतु नियम व शर्तें

- i. वाहनों की नीलामी “जो जहा है वही” के आधार पर की जाएगी। अतः प्रत्येक बोलीदाता को प्रत्येक वाहन हेतु अलग-अलग सीलबंद किया गया कोटेशन जमा करना होगा।
- ii. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को उपरोक्त क्र.सं. 01-05 के चार पहिया वाहनों हेतु रु. 3000/- (तीन हजार हजार रु. मात्र) व अन्य सभी दो-पहिया वाहनों हेतु प्रत्येक के लिए अलग-अलग रु. 1000/- (एक हजार हजार रु. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में “D.D.O. CBN, Neemuch” के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- iii. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक **07.07.2023** को शाम **15:00** बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर “D.D.O. CBN, Neemuch” के पक्ष में भुक्त/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बोली राशि आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को निविदा राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निविदा राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उरा वाहन

हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है अथवा नीलामी प्रक्रिया रद्द कर पूर्ण रूप से पुनः शुरु की जाएगी।

- vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।
- viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
- ix. नीलामी में तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- x. वाहन की बिक्री के पश्चात् वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तांतरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्चे भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएंगे। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
- xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नहीं ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है।


(स्वच्छंद चव्हाण)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) -474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुरुगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)-474006 को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम खण्ड को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सज्जन बाग रिसोर्ट के पास, मऊ रोड़, नीमच (म.प्र.)-458441, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विधुत एवं यांत्रिकी), उपसंभाग नीमच (म.प्र.)-458441 की प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कार्यालय से इनकी दिनांकित पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

4. श्रीमान जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर प्रथम खण्ड को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंदसौर व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी), मंदसौर की प्रतियों इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कार्यालय से इनकी दिनांकित पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. श्रीमान जिला अफीम अधिकारी, जावरा खण्ड को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रतलाम एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी), रतलाम की प्रतियों इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कार्यालय से इनकी दिनांकित पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, मंदसौर को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, जावरा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच।

(रवच्छंद चन्हाण)
सहायक नारकोटिकरा आयुक्त